राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर फोन नं. 0141–2229981, E mail ID:cojsy.nhm@gmail.com

क्रमांक: F (14) NHM/RCH/MH/M.RajShree.Yojana/ 418 दिनांक: 6/6/2016

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिले, राजस्थान।

विषय:– मुख्यमंत्री राजश्री योजना के संबंध में दिशा–निर्देश।

संदर्भ:– श्रीमान शासन सचिव महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग का पत्र क्रमांक
प. 27(1)(35) / निमअ / 2015–16 / 8131–8682 दिनांक: 31.05.2016।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 की बजट घोषणा संख्या (124) के अनुसार 1 जून 2016 से प्रारम्भ की गई मुख्यमंत्री राजश्री योजना के क्रियान्वयन हेतु, श्रीमान शासन सचिव महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी योजना के विस्तृत दिशा निर्देश आपके सूचनार्थ संदर्भ हेतु प्रेषित किये जा रहे है।

संलग्न:– संदर्भित पत्र एवं दिशानिर्देश

6/6/16
निदेशक, आरसीएच
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम), जयपुर।
5 निजी सचिव, आयुक्त महिला अधिकारिता विभाग।
6 निजी सहायक, निदेशक – आरसीएच।
7 परियोजना निदेशक – मातृ स्वास्थ्य, एनएचएम, मुख्यालय, जयपुर।
8 अधीक्षक, समस्त मेडिकल कॉलेज संबंधित अस्पताल।
9 समस्त संयुक्त निदेशक – समस्त संभाग।
10 समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
11 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी – जिला / उपजिला अस्पताल / सेटेलाईट अस्पताल।
12 समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक / जिला लेखा प्रबंधक / जिला मोडल अधिकारी, समस्त जिले।
13 समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी / समस्त ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक, समस्त जिले।
14 समस्त चिकि. अधि. प्रभारी – उप जिला अस्पताल / सेटेलाईट अस्पताल / सामु.स्वा केन्द्र / प्रा.स्वा.केन्द्र।
15 प्रभारी सर्वर रूम।
16 रक्षित पत्रावली।

6/6/16
निदेशक, आरसीएच

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांकः प.27(1)(35)/निमअ/2015–16/ 8064-130 जयपुर, दिनांकः 31-05-16

समस्त जिला कलेक्टर
समस्त कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता

विषयः– मुख्यमंत्री राजश्री योजना के संबंध में दिशा निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2016–17 के बजट घोषणा (124) के अनुसार राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत 01 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी। यह योजना दिनांक 01.06.2016 से सम्पूर्ण राज्य में लागू होगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देशों की प्रति संलग्न है।

उक्त दिशा–निर्देशों के क्रम में जिला स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न उपरोक्तानुसार

(कुलदीप रांका)
शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांकः प.27(1)(35)/निमअ/2015–16/ 8131–8682 जयपुर, दिनांकः 31-05-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीया मंत्री, मबावि।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
4. शासन सचिव, प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग।
5. विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
6. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें।
7. प्रबंध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर।
8. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जन स्वास्थ्य/आईईसी/आरसीएच/एड्स।
9. मुख्य लेखाधिकारी (परिवार कल्याण) निदेशालय।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
11. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, समस्त संभाग।
12. परियोजना निदेशक, मातृ स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
13. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
14. समस्त उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें।
15. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
16. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग।
17. समस्त जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी।
18. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
19. रक्षित पत्रावली।

ऋचा खोड़ा
(ऋचा खोडा)
आयुक्त
महिला अधिकारिता

'मुख्यमंत्री राजश्री योजना'

दिशा–निर्देश

1. **योजना का परिचय** :–माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2016–17 की बजट घोषणा (124) के अनुसार राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत 01 जून 2016 या उस के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी।

2. **योजना के उद्धेश्यः–**

(i) राज्य मे 'बालिका जन्म' के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिका का समग्र विकास करना।
(ii) बालिकाओं के लालन–पालन, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग–भेद को रोकना एवं बालिकाओं का बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।
(iii) संस्थागत प्रसव को बढावा देकर मातृ–मृत्यु दर में कमी लाना।
(iv) बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते बाल लिंगानुपात को सुधारना।
(v) बालिका का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
(vi) बालिका को समाज में समानता का अधिकार दिलाना।

3. **योजना के अन्तर्गत देय लाभः**–योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता पिता/अभिभावक को कुल राशि रुपये 50 हजार अधिकतम का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगाः–

(i) राज्य के राजकीय तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका की माता को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर 2500 रू. की राशि देय होगी। यह राशि जननी सुरक्षा योजना (JSY)के तहत देय राशि के अतिरिक्त होगी।
(ii) बालिका की उम्र 1 वर्ष पूर्ण होने पर बालिका के नाम से 2500 रू. की राशि देय होगी।
(iii) बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4000 रू. की राशि देय होगी।
(iv) बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 5000 रू. की राशि देय होगी।

(v) बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 11000 रू. की राशि देय होगी।

(vi) बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर रू. 25000 की राशि देय होगी।

4. पात्रता:–

(i) ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 अथवा उसके पश्चात होगा।

(ii) ऐसी बालिकाएं जिनके माता या पिता आधार कार्ड अथवा भामाशाह कार्डधारी हो। यदि हितग्राही के पास प्रथम किश्त का लाभ लेते समय आधार अथवा भामाशाह कार्ड नही है, तो भी प्रथम किश्त का लाभ संस्थागत प्रसव के आधार पर प्रदान किया जायेगा किंतु दूसरी किश्त का लाभ लेने से पूर्व आधार अथवा भामाशाह कार्ड की प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

(iii) योजना का लाभ राजस्थान की मूल निवासी प्रसूताओं के लिये ही देय है। ऐसी प्रसूताऐं जिनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ है एवं जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्राप्त किया है, को बालिका के जीवित जन्म का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ मूल निवास क्षेत्राधिकार वाले राजकीय चिकित्सा संस्थान से देय होगा। राजस्थान राज्य के बाहर की प्रसूता को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के परिलाभ देय नही होगें।

(iv) प्रथम एवं द्वितीय किश्त का लाभ सभी संस्थागत प्रसव से जन्म लेने वाली बालिकाओं को देय होगा। यह लाभ दिनांक 31.05.2016 की मध्य रात्रि के पश्चात जन्म लेने वाली सभी बालिकाओं को देय होगा। तीसरी एव पश्चातवर्ती किश्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा अर्थात प्रथम दो किश्तो के अतिरिक्त अन्य किश्तो का लाभ उन्ही बालिकाओ को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी। इस हेतु निर्धारित प्रकिया के अनुसार माता–पिता को स्व घोषणा प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(v) यदि माता–पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे एक या दो किश्तो का लाभ दिया जा चुका हो तो ऐसे माता–पिता की कुल जीवित संतानो में से मृत बालिका की संख्या कम हो जायेगी तथा ऐसे माता–पिता के यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ की पात्र होंगी। तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तों का लाभ अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा।

(vi) प्रथम किश्त हेतु राज्य के राजकीय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानो में प्रसव से जन्म लेना आवश्यक होगा।

(vii) द्वितीय किश्त का लाभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ–शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ममता कार्ड के अनुसार सभी टीके लगवाने के आधार पर देय होगा।

(viii) प्रथम किश्त से लाभान्वितों को समेकित बाल विकास सेवाओ के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्र से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।

(ix) मुख्यमत्री राजश्री योजना का द्वितीय (बालिका की उम्र एक वर्ष पूर्ण होने पर एवं आवश्यक टीकाकरण पश्चात्) एवं तृतीय (बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर) परिलाभ तभी देय होगा जबकि उसने प्रथम परिलाभ प्राप्त किया हो।

(x) ऐसी बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं मे प्रत्येक चरण में (कक्षा 1 ,6, 10 तथा 12) शिक्षारत है/रही हैं।

(xi) योजना की अगली किश्त पूर्व में सभी किश्त/किश्तें प्राप्त करने की स्थिति में ही देय होंगी।

5. प्रक्रिया:–

(i) मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म पर संस्थागत प्रसव होने की सुनिश्चितता करने तथा बालिका की आयु एक वर्ष पूर्ण होने एवं टीकाकरण की सुनिश्चितता ऑनलाईन करने के उपरांत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा देय राशि बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में ऑनलाईन ट्रांसफर की जायेगी। इसके लिये प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आई.डी. न. दिया जायेगा। प्रथम व द्वितीय किश्त प्राप्त करने के लिये पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नही रहेगी।

(ii) द्वितीय किश्त का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण के रुप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ–शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ममता कार्ड अपलोड करने पर देय होगा।

(iii) प्रथम एवं द्वितीय किश्त का लाभ बालिका को वर्तमान में संचालित शुभ लक्ष्मी योजना के अनुसार ही चिकित्सा , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जायेगा।

(iv) तीसरी किश्त अर्थात बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका की माता, माता ना होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप मे ऑनलाईन आवेदन ई–मित्र/अटल सेवा केंद्र/अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से करना होगा। आवेदन के साथ मातृ–शिशु सुरक्षा कार्ड (एमसीपी कार्ड) की प्रति, विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण, दो संतानों संबधी स्वघोषणा की प्रति भी अपलोड करनी होगी।

ऑनलाईन प्राप्त पात्र प्रकरणों की ऑनलाईन स्वीकृति कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा जारी की जायेगी तथा लाभार्थी के खाते में राशि का ऑनलाईन हस्तांतरण किया जायेगा।

(v) योजना के अन्तर्गत चौथी, पांचवी तथा छठी किश्त अर्थात कक्षा 6 व 10 में प्रवेश के उपरांत एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर बालिका की माता, माता ना होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारुप में ऑनलाईन आवेदन ई–मित्र/अटल सेवा केन्द्र/अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से करना होगा। आवेदन के साथ विद्यालय में प्रवेश के प्रमाण की प्रति भी अपलोड करनी होगी। कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पश्चात अंकतालिका की प्रति भी आवेदन के साथ अपलोड करनी होगी।

(vi) योजना का प्रशासनिक विभाग महिला एवं बाल विकास होगा।

(vii) योजना की समीक्षा संबंधित जिला कलक्टर के द्वारा प्रत्येक माह में एक बार की जायेगी।

(viii) योजना के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के आधार पर योजना का संचालन किया जायेगा एवं समय समय पर समुचित संशोधन व दिशा निर्देश जारी किये जा सकेंगे।